"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147] रायपुर, शनिवार, दिनांक 15 जून 2002—ज्येष्ठ 25, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जून 2002

क्रमांक 4180/21-अ/प्रारूपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) से अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्र. 5 सन् 2002) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ लोक आयोग अध्यादेश

(सन् 2002 का कमांक 5)

विषय–सूची

छत्तीसगढ़ लोक आयोग अध्यादेश, 2002

(सन् 2002 का कमांक 5)

भारत गणराज्य के तिरपनवे वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया ।

मंत्रियों,संसदीय सचिव,लोक सेवकों आदि के विरूद्व आरोपों की जांच करने के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों के लिए उपबंध बनाने के लिए यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ;

यतः राज्य के विधान–मण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियॉ विद्यमान है जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें ;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रांरभ

(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ लोक आयोग अध्यादेश, 2002 (क. सन् 2002) है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. इस अध्यादेश में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

परिभाषाऐं

(क) "कार्रवाई" से अभिप्रेत है किसी विनिश्चय,सिफारिश या निष्कर्षो या किसी अन्य रीति द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाई को सम्मिलित करते हुए कार्रवाई और जिसमें सम्मिलित है किसी कार्य को करने में जानबूझकर असफल रहना या चूक करना तथा ऐसी कार्रवाई से संबंधित अभिव्यक्तियॉ जिनका तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा ।

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है,–

(एक) मुख्यमंत्री से भिन्न किसी मंत्री की दशा में छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री,

(दो) मुख्यमंत्री या राज्य विधान–मंडल के सदस्य के मामले में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,

(तीन) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी के मामले में मुख्यमंत्री,

(चार) अखिल भारतीय सेवाओं के किसी सदस्य से भिन्न किसी शासकीय सेवक के मामले में ऐसे शासकीय सेवक का नियुक्ति प्राधिकारी,

(पांच) किसी अन्य लोक सेवक के मामले से भिन्न मामले में ऐसा प्राधिकारी जैसा कि सरकार द्वारा विहित किया जाए,

(ग) " भ्रष्टाचार" में सम्मिलित है भारतीय दंड सहिता (1860 का क्र. 45) में अध्याय–9 के अधीन या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 (1988 का क्र. 49) के अधीन दण्डनीय कोई कार्य,

(घ) " शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो और जिसे अखिल भारतीय सेवा नियमों के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित किया गया हो या ऐसा व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य की सिविल सेवा का सदस्य हो या जो सिविल पद धारण करता हो या छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा कर रहा है और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसकी सेवाएं भारत शासन, अन्य राज्य सरकार के या स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यक्ति चाहे वह निगमित हो या नही हो को, अस्थाई रूप से दी

गई हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो छत्तीसगढ़ में स्थानीय या अन्य प्राधिकारी की सेवा में हो ।

(ङ.) " स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क. 1 सन् 1994) के अधीन ग्राम,जनपद या जिला स्तर पर गठित पंचायत, नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (कमांक 23 सन् 1956) के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम या छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क. 37 सन् 1961) के अधीन गठित कोई नगर पंचायत या नगरपालिका और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अधिनियम के अधीन चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, गठित कोई अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकारी,

(च) "लोक आयोग" से अभिप्रेत है इस अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित आयोग,

(छ) "मंत्री" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य के लिये मंत्रि–परिषद का कोई सदस्य चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो अर्थात मुख्यमंत्री,राज्यमंत्री,उपमंत्री,संसदीय सचिव या मंत्री,राज्यमंत्री तथा उपमंत्री की प्रास्थिति के समतुल्य कोई पद,

(ज) किसी लोक सेवक द्वारा " अवचार" से अभिप्रेत है और उसमे सम्मिलित है , ऐसे लोक सेवक ने :–

(एक) ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं के या अन्य व्यक्ति के अभिलाभ या पक्ष में या किसी अन्य व्यक्ति को असम्यक क्षति या कठिनाई कारित की हो,

(दो) ऐसे लोक सेवक के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन में व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य से कार्य किया हो,

(तीन) ऐसे लोक सेवक के रूप में भ्रष्टाचार,असम्यक पक्षपात, भाई – भतीजावाद में लिप्त रहा हो या ईमानदारी की कमी रही हो,

(चार) आय के उसके ज्ञात साधनों से अधिक धन संबंधी साधन या अनुपातहीन संपत्ति धारित की हो और ऐसे धन संबंधी साधन या संपत्ति लोक सेवक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या

उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की गई हो,

(झ) "लोक सेवक " से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है ऐसा व्यक्ति जो :—

(एक) मुख्यमंत्री है,
(दो) मंत्री है,
(तीन) छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का सदस्य है,
(चार) शासकीय सेवक है,

(पांच) राज्य विधान—मण्डल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन राज्य में स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी निकाय या निगम ,जिसमें कोई सहकारी समिति सम्मिलित है या कम्पनी अधिनियम — 1956 (1956 का क्र. 1) की धारा 617 के अर्थ के अंतर्गत कोई सरकारी कम्पनी और ऐसे अन्य निगम या बोर्ड जिन्हें सरकार ऐसे निगमों या बोर्डो में उसके वित्तीय हित का ध्यान रखते हुए समय—समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें,का चेयरपरसन तथा वाइस—चेयरपरसन (जो किसी भी नाम से जाना जाता हो) या इसके सदस्य हो,

(छै') छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित किसी समिति या बोर्ड या प्राधिकरण या निगम चाहे कानूनी या अकानूनी हो, का सदस्य हो ।

(सांत) निम्नलिखित में से किसी निकाय में या अन्यथा सेवारत हो या वेतन प्राप्त कर रहा हो :—

(कक) राज्य का किसी स्थानीय प्राधिकारी,

(खख) राज्य या केन्द्र के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई कानूनी निकाय या कोई निगम (स्थानीय प्राधिकरण न हो) जो छत्तीसगढ़ सरकार के स्वामित्व की हो या नियंत्रण में हो और कोई अन्य बोर्ड या निगम जिसे सरकार, उसके वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए समय—समय पर अधिसूचित करे,

(गग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का क्र. 1 .) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत समादत्त पूंजी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा धारित हो या कोई कम्पनी जो ऐसी कम्पनी की समनुषंगी हो,

(घघ) राज्य विधान–मण्डल के किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली सोसाइटी और जो छत्तीसगढ़ शासन के नियंत्रण के अध्यधीन हो,

(ङ.ङ.) कोई सहकारी सोसाइटी,

(चच) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्र. 22 सन् 1973) के अधीन संरचित या संरचित समझा गया विश्वविद्यालय,

(ण) "लोक आयोग का सचिव" से अभिप्रेत है नियुक्त किया गया व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो लोक आयोग की ओर से अन्य व्यक्तियों या निकायों से संवाद या पत्र व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में इस प्रकार पदाभिहित किया गया हो ।

3. लोक आयोग का गठन

(1) इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार जांच करने के प्रयोजन के लिए एक लोक आयोग होगा ।

(2) लोक आयोग दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जिसमें एक सदस्य प्रमुख लोकायुक्त तथा दूसरा सदस्य लोकायुक्त के रूप में होगा ।

(3) प्रमुख लोकायुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या जिसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से उच्चतर न्यायिक पद धारित किया हो ।

(4) लोकायुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जिसे प्रशासकीय तथा अर्द्ध न्यायिक स्वरूप के मामलों का अनुभव हो तथा जिसने भारत सरकार के

सचिव या किसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव स्तर पर कार्य किया हो,

परन्तु प्रमुख लोकायुक्त, लोक आयोग के कार्यकलापों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा ।

(5) राज्यपाल स्वयं के हस्ताक्षर एवं मुद्रा के अधीन वारंट द्वारा, मुख्यमंत्री,जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष से परामर्श करेगा, की सलाह पर प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा ।

(6) प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपना पद धारण करने के पूर्व, राज्यपाल के या राज्यपाल द्वारा उस संबंध में नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के समक्ष उस प्रारूप में जो कि प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिया गया हो, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(7) प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त न्यास या लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा या वह किसी राजनैतिक दल से संबंधित नहीं होगा या किसी सोसाइटी में कोई कारोबार या वृत्ति या व्यवसाय नहीं करेगा, किसी सोसायटी, जिसमें सहकारी सोसाइटी भी सम्मिलित है , न्यास या स्थानीय प्राधिकरण में कोई पद धारण नही करेगा या किसी राज्य विधानसभा या संसद की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा ।

4. सदस्यों की पदावधि तथा अन्य सेवा शर्ते

(1) लोक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उसके पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेगा तथा उसके पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु—

(क) वह राज्यपाल को सम्बोधित स्वलिखित तथा हस्ताक्षरित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, तथा ऐसा त्यागपत्र पेश करते ही प्रभावी हो जायेगा ।

(ख) वह इस अध्यादेश की धारा 5 में विनिर्दिष्ट रीति से पद से हटाया जा सकेगा ।

(2) प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त के पद पर उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने से हुई रिक्ति की दशा में राज्यपाल द्वारा शेष सदस्य को लोक आयोग के रूप में अधिसूचित किया जायेगा तथा लोक आयोग की कोई भी कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि तत्समय दो सदस्य पद पर नहीं हैं ।

(3) प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त के पद पर उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या हटाये जाने के कारण हुई रिक्ति को यथाशीध्र भरा जायेगा किन्तु ऐसी रिक्ति को उसके रिक्त होने के छह मास से अनधिक अवधि में भरा जायेगा ।

(4) प्रमुख लोकायुक्त और लोकायुक्त, पद पर न रहने पर छत्तीसगढ़ शासन के अधीन या छत्तीसगढ़ राज्य में किसी सहकारी सोसाइटी, सरकारी कम्पनी या निगम या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन और नियोजन के लिये पात्र नहीं होगा ।

(5) प्रमुख लोकायुक्त और लोकायुक्त को ऐसा वेतन संदत्त किया जायेगा जैसा कि द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(6) प्रमुख लोकायुक्त और लोकायुक्त को देय पेंशन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाएं

परन्तु :—

(क) प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त को देय भत्ते और पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्ते विहित करते समय यथास्थिति, प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा धारित अंतिम पद पर देय भत्ते और पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तो पर ध्यान दिया जायेगा,

(ख) प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त को देय भत्ते तथा पेंशन और सेवा की अन्य शर्तो में इस अध्यादेश के अधीन नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी फेरफार नहीं किया जायेगा ।

5

प्रमुख लोकायुक्त और लोकायुक्त का हटाया जाना

(1) प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त को अपने पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि साबित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन के छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा उसी सत्र में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर राज्यपाल ने आदेश पारित न कर दिया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी समावेदन के प्रस्तुत किए जाने की और प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण तथा साबित किये जाने की प्रकिया ऐसी होगी जैसी कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 (1968 का सं. 51) में किसी न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में उपबंधित की गई हो और तद्नुसार इस अध्यादेश के उपबंध आवश्यक उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त को हटाए जाने के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी न्यायाधीश के हटाये जाने के संबंध में लागू होते हैं ।

6.

लोक आयोग द्वारा जांच किये जाने वाले मामले

मुख्यमंत्री,मंत्री या किसी अन्य लोक सेवक के अवचार की विनिर्दिष्ट सूचना या उसके विरूद्व शिकायत पर लोक आयोग इस अध्यादेश के उपबंधो के अध्यधीन उसमें अन्तर्विष्ट मामले की जांच कर सकेगा ।

7.

ामले जो जॉच के अध्यधीन नहीं होंगे

(1) इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाय, लोक आयोग, किसी कार्रवाई के संबंध में शिकायत के मामले में इस अध्यादेश के अधीन कोई जांच संचालित नहीं करेगा यदि ऐसी कार्रवाई तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित हो ।

(2) लोक आयोग ऐसी कार्रवाई की जॉच नहीं करेगा :

(क) जिसके संबंध में लोक सेवक (जांच) अधिनियम,1950 (1950 का सं. 37) के अधीन औपचारिक तथा लोक जांच आदेशित कर दी गई हो ; या

(ख) किसी ऐसे मामले के संबंध में जो जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 60) के अधीन जांच के लिये निर्दिष्ट कर दिया गया हो ।

(3) लोक आयोग किसी ऐसी शिकायत की जांच नहीं करेगा :-

(क) यदि वह उस तारीख से, जिससे शिकायतकर्ता को शिकायत संबंधी जानकारी हुई हो, बारह मास समाप्त होने के पश्चात् की गई हो ,

(ख) यदि वह उस तारीख से, जिससे वह धटना घटित हुई है जिसके संबंध में शिकायत की गई थी, पांच वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् की गई हो,

परन्तु लोक आयोग खण्ड (क) में निर्दिष्ट शिकायत को स्वीकार कर सकेगा यदि शिकायतकर्ता यह समाधान कर देता है कि उसके पास उक्त खण्ड में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर शिकायत न करने का पर्याप्त कारण था ।

(4) इस अध्यादेश की कोई भी बात विवेकाधीन प्रयोग के अंतर्निहित किसी प्रशासकीय कार्रवाई को प्रश्नगत करने के लिए लोक आयोग को सशक्त नहीं करेगी सिवाए जहां उसका यह समाधान हो जायें कि विवेकाधिकार के प्रयोग में अंतर्निहित आवश्यक तत्व इस सीमा तक नहीं है कि विवेकाधिकार को समुचित रूप से प्रयोग किया गया नहीं समझा जा सकता है ।

8. शिकायत से संबंधित उपबंध

(1) अवचार से संबंधित प्रत्येक शिकायत, ऐसे प्रारूप में,जो कि विहित किया जाये, की जायेगी तथा उसके साथ दो सौ पच्चास रूपये का निक्षेप होगा, तथा परिवादी लोक आयोग के समक्ष या लोक आयोग द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी अन्य अधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारूप में, जो कि विहित किया जाये, एक शपथ–पत्र भी देगा :

(2) इस अध्यादेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो जानबूझकर या विद्वेषतः इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या शिकायत करेगा, दोषसिद्धि पर, कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा तथा न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि जुर्माने की रकम में से ऐसी राशि, जैसी कि वह उचित समझे, उस व्यक्ति को, जिसके विरूद्व ऐसी शिकायत की गई थी, प्रतिकर के तौर पर दी जाएं :

परन्तु कोई भी न्यायालय इस उपधारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उस शिकायत पर के सिवाय नहीं करेगा जो कि यथास्थिति लोक आयोग के प्राधिकार द्वारा की गई हो :

परन्तु यह और भी कि लोक आयोग के सचिव के हस्ताक्षर से तथा मुद्रा लगाकर की गई शिकायत लोक आयोग के प्राधिकार के रूप में पर्याप्त होगी तथा लोक आयोग के सदस्यों की साक्ष्य इस प्रयोजन के लिये आवश्यक नहीं होगी ।

9. जॉच के संबंध में प्रकिया

लोक आयोग अपने समक्ष लाये जाने वाले प्रकरणों की जॉच के संबंध में प्रकिया का निर्धारण करेगा तथा ऐसा करते समय वह सुनिश्चित करेगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों का उल्लंधन न हो ।

10. साक्ष्य

(1) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए इस अध्यादेश के अधीन जॉच के प्रयोजन के लिये, (जिसमें प्रांरभिक जांच यदि कोई हो, भी सम्मिलित है) ऐसी जॉच के पूर्व लोक आयोग किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से जो उसकी राय में जॉच से सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में समर्थ है, कोई ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) किसी ऐसी जॉच, जिसमें जॉच के पूर्व की कोई प्रांरभिक जांच, यदि कोई हो, सम्मिलित हैं, के प्रयोजन के लिए लोक आयोग के पास वे समस्त शक्तियॉ निम्नलिखित मामलों के संबंध में रहेगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का सं. 5) के अधीन वाद की सुनवाई के दौरान एक सिविल न्यायालय में निहित रहती है :-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ।

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा पेश किये जाने के लिये अपेक्षा करना ।

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना ।

(ड.) साक्षियों या दस्तावेजों, के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना ।

(च) ऐसे अन्य विषय जो कि विहित किये जायें ।

(3) लोक आयोग के समक्ष की कोई भी कार्रवाई भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के अंतर्गत एक न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी ।

(4) कोई भी लोक सेवक, उपधारा (5) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, इस अध्यादेश के अधीन किसी जॉच के संबंध में लोक आयोग के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने या साक्ष्य देने के संबंध में विशेषाधिकार का पात्र नहीं होगा ।

(5) कोई भी व्यक्ति इस अध्यादेश के आधार पर कोई ऐसी जानकारी प्रदान करने, किसी प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने से अपेक्षित या प्राधिकृत नहीं किया जायेगा :–

(क) जिससे राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या

(ख) जिसमें राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद की कार्यवाही का प्रकटन अंतर्वलित हो :

स्पष्टीकरण :—राज्य शासन के सचिव द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिये यह प्रमाणित करते हुये जारी किया गया प्रमाण–पत्र बाध्यकारी और निश्चायक होगा कि कोई जानकारी, उत्तर या दस्तावेज का कोई भाग खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है ।

(6) उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी व्यक्ति को इस अध्यादेश के अधीन जॉच के प्रयोजन के लिए कोई साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जिसके लिए कि उसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में देने या प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता हो, विवश नहीं किया जायेगा ।

11. लोक आयोग की रिपोर्ट

(1) यदि किसी कार्रवाई, जिसके कि संबंध में कोई शिकायत प्राप्त की गई हो, अन्वेषण के पश्चात् लोक आयोग की यह राय है कि शिकायत स्थापित होती है तो वह लिखित में एक रिपोर्ट द्वारा सुसंगत दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों के साथ उसके निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा ।

स्पष्टीकरण:— किसी शिकायत, जिसमे उस शिकायत पर निर्णय, रिपोर्ट, निष्कर्ष और परिणाम भी सम्मिलित हैं, के संबंध में "लोक आयोग की राय " से अभिप्रेत है प्रमुख लोक आयुक्त तथा लोक आयुक्त की सर्वसम्मत राय ।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण करेगा और उस रिपोर्ट के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर, लोक आयोग को देगा ।

(3) यदि लोक आयोग का उसकी सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई से समाधान हो जाये, तो वह संबंधित परिवादी, लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी को सूचना देते हुए मामले को बंद कर देगा । किसी अन्य मामलें में यदि वह यह समझे कि मामला इस योग्य है तो, राज्यपाल को उस मामले के संबंध में विशेष रिपोर्ट कर सकेगा तथा संबंधित परिवादी को भी इत्तिला दे सकेगा ।

(4) लोक आयोग इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यों के पालन के संबंध में एक समेकित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रतिवर्ष पेश करेगा ।

(5) यदि उप धारा (3) के अधीन किसी विशेष रिपोर्ट या उपधारा (4) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट में किसी लोक सेवक के विरूद्व कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है, तो ऐसी रिपोर्ट में उस प्रतिवाद का, जो कि ऐसे लोक सेवक ने पेश किया था, सार तथा उस पर यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से या राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा या उसकी ओर से या संबंधित लोक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से की गई टिप्पणी भी अंतर्विष्ट होगी ।

(6) उपधारा (3) के अधीन विशेष रिपोर्ट या उप धारा (4) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्यपाल उस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगा ।

(7) इस अध्यादेश की धारा 9 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए लोक आयोग, बंद किये गये या अन्यथा निपटाये गये उन मामलों का जो कि उसे सामान्य लोकहित के या विधा संबंधी या वृत्तिक हित के प्रतीत हो, सार ऐसी रीति में तथा ऐसे व्यक्तियों को, जो कि उसे समुचित प्रतीत हों स्वविवेकानुसार समय–समय पर उपलब्ध करा सकेगा ।

12. मुख्यमंत्री के संबंध में रिपोर्ट

(1) मुख्यमंत्री के विरूद्व किसी शिकायत के संबंध में लोक आयोग उसकी रिपोर्ट अपनी अनुशंसाओं के साथ राज्यपाल को भेजेगा जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी कि वह उचित या समीचीन समझे ।

(2) लोक आयोग की रिपोर्ट उप धारा (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा पारित किये गये आदेश के साथ राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जायेगी ।

13. लोक आयोग के कर्मचारीवृन्द

(1) लोक आयोग का एक सचिव होगा जो प्रमुख लोक आयुक्त और लोक आयुक्त की इस अध्यादेश के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करेगा ।

(2) लोक आयोग के सचिव के अधीन ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी होंगे जैसा कि इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियमों में उल्लेखित हो ।

(3) प्रमुख लोक आयुक्त की ऐसी प्रशासनिक शक्तियॉ, जो लोक आयोग के अधीन नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियो पर नियंत्रण के लिए आवश्यक हो , होगीं जो कि प्रमुख लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, विहित की जायें ।

(4) लोक आयोग के सचिव और अन्य संवर्ग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के, जिन्हें उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि प्रमुख लोक आयुक्त के परामर्श से विहित की जाएं ।

(5) लोक आयोग, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अध्यादेश के अधीन जॉच करने के लिए निम्नलिखित की सेवाओ का उपयोग कर सकेगी :—

(क) राज्य सरकार द्वारा लोक आयोग के लिए नियुक्त की गई अन्वेषण एजेंसी, या

(ख) राज्य या केन्द्र सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण एजेंसी, उस सरकार की सहमति से, या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति या एजेन्सी,

14. जानकारी का गुप्त रखा जाना

(1) लोक आयोग, उसके कर्मचारीवृन्द, किसी व्यक्ति या एजेंसी जिनकी सेवाओं का किसी शिकायत की जॉच के संबंध में उपयोग किया गया हो, को जॉच के अनुकम में प्राप्त जानकारी और ऐसी जानकारी के संबंध में अवलिखित या संग्रहित किसी साक्ष्य को गोपनीय माना जायगा

(2) उपधारा (1) में कोई भी बात :

(क) जांच के प्रयोजनों के लिये या उसके बारे में दी जाने वाली किसी रिपोर्ट में या ऐसी रिपोर्ट के बारे में की जाने वाली किसी कार्यवाही या की जाने वाली किन्हीं कार्यवाहियों के लिये, या

(ख) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का सं. 19) के अधीन किसी अपराध या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के किसी अपराध के लिये किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिये या इस अध्यादेश की धारा 15 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिये, या

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो कि विहित किये जायें,

किसी जानकारी या प्रकटन को लागू नहीं होगी,

(3) कोई अधिकारी या अन्य प्राधिकारी, जो इस संबंध में विहित किया जाये, लोक आयोग को लिखित सूचना, सूचना में विनिर्दिष्ट की गई किसी दस्तावेज या जानकारी के संबंध में या इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई दस्तावेजों के किसी वर्ग के संबंध में, इस प्रभाव की दे सकेगा कि राज्य सरकार की राय में उन दस्तावेजों या जानकारी का या उस वर्ग की दस्तावेजों या जानकारी का प्रकटन लोक हित के विरूद्ध होगा और जहां ऐसी सूचना दी गई हो, वहां इस अधिनियम में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह लोक आयुक्त, उप–लोक आयुक्त या उसके कर्मचारीवृन्द के किसी सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित करती है कि वह किसी भी व्यक्ति को सूचना में विनिर्दिष्ट की गई किसी दस्तावेज या जानकारी की या इस प्रकार विनिर्दिष्ट किये गये वर्ग की किसी दस्तावेज या जानकारी की सूचना दे ।

15. सरंक्षण

लोक आयोग, प्रमुख लोक आयुक्त, लोक आयुक्त के विरूद्ध या धारा 13 में निर्दिष्ट किये गये किसी अधिकारी, कर्मचारी, अधिकरण या व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में जो, इस अध्यादेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार किया जाना आशयित रहा हो कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

16. लोक आयोग सुझाव देगा

यदि इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्य के निर्वहन में लोक आयोग के ध्यान में कोई ऐसी पद्धति या प्रकिया आये जो कि उसके

राय में भ्रष्टाचार या कुप्रशासन के लिये अवसर प्रदान करती है तो वह उसे सरकार के ध्यान में ला सकेगा तथा उक्त पद्वति या प्रक्रिया में ऐसा सुधार करने का जिसे कि वह उचित समझे सुझाव दे सकेगा ।

17
नियम बनाने की शक्ति

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगें ।

18.
शंकाओं का निराकरण

शंकाओं के निराकरण के लिये एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अध्यादेश की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह लोक आयोग को :-

(क) न्यायिक सेवा के किसी ऐसे सदस्य, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है,

(ख) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य,

(ग) छत्तीसगढ़ के मुख्य चुनाव अधिकारी,

(घ) छत्तीसगढ़ विधानसभा के विधानसभा सचिवालय के सदस्य,

(ड.) राज्यपाल के सचिवालय के स्टाफ का सदस्य,
के विरूद्व जांच के लिए प्राधिकृत करती है ।

19.
व्यावृत्ति

इस अध्यादेश के उपबंध किसी अन्य अधिनियमिती या विधि के किसी ऐसे नियम के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे जिसके अधीन किसी कार्रवाई के संबंध में इस अध्यादेश के अधीन, शिकायत करने वाले किसी व्यक्ति को अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के रूप में या किसी अन्य रीति में उपचार उपलब्ध है, और इस अध्यादेश में की कोई बात ऐसे उपचार

का लाभ उठाने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार को सीमित या प्रभावित नहीं करेगी ।

20. अधिनियम क्र. 37 सन् 1981 का निरसन तथा इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के पूर्व की शिकायतों को ग्रहण करने का प्रतिषेध

(1) छत्तीसगढ़ लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 अनुकूलीकरण (अधिसूचना क्र. एफ–8–1/2001/1/6 दिनांक 8 अक्टूबर 2001) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के समक्ष लंबित समस्त ऐसी शिकायतें जो छत्तीसगढ़ राज्य के कियाकलापो से संबंधित हैं, इस अध्यादेश के प्रारंभ होने पर, लोक आयोग को अंतरित हो जाएंगी तथा तदुपरी लोक आयोग द्वारा इस प्रकार निपटाई जायेंगी मानो कि वे उसके द्वारा इस अध्यादेश के अधीन ग्रहण की गई थी ।

(3) इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के पूर्व उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन लोकायुक्त या उप लोकायुक्त द्वारा निपटाई कोई भी शिकायत लोक आयोग द्वारा ग्रहण नहीं की जायेगी :

परन्तु लोक आयोग, यदि वह न्याय करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन इस अध्यादेश के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व 2 वर्षो की कालावधि में अंतिम रूप से निपटाई गई किसी ऐसी शिकायत जो छत्तीसगढ़ राज्य के कियाकलापो से संबंधित है, की जांच कर सकेगा ।

रायपुर,
दिनांक 15 जून,2002

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

प्रथम अनुसूची

(कृपया धारा 3 (6) देखिए)

मैं ———————————— जिसे प्रमुख लोकायुक्त/लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की निष्ठा तथा राजनिष्ठा रखूंगा, और मैं सम्यक रूप से तथा निष्ठापूर्वक तथा अपनी सर्वोत्तम योग्यता, जानकारी तथा विवेकबुद्धि के अनुसार अपने पद के कर्तव्यों का, भय या पक्षपात,अनुराग या वैमनस्य के बिना पालन करूंगा ।

द्वितीय अनुसूची

(कृपया धारा 4 (5) देखिए)

1. प्रमुख लोकायुक्त को,नियुक्ति के पश्चात् वास्तविक सेवा में व्यतीत किए गए समय के संबंध में, वेतन तथा ऐसी परिलब्धियां तथा भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो–

(एक) भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को देय हैं, यदि प्रमुख लोकायुक्त को उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है जिन्होंने उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश का पद धारित किया हो ,

(दो) किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को देय है, यदि प्रमुख लोकायुक्त को उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का पद धारित किया हो,

(तीन) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय है, यदि प्रमुख लोकायुक्त को उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारित किया हो ।

परन्तु प्रमुख लोकायुक्त की सेवा के लिए उनके देय वेतन में से ----

(क) उनके पूर्व किसी सेवा के लिये प्राप्त पेंशन (निर्योग्यता पेंशन से भिन्न) की राशि तक, और

(ख) यदि उसने प्रमुख लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति के पूर्व उसकी पूर्व सेवा के संबंध में उसे देय पेंशन के बदले में उसके सारांशीकृत मूल्य का कोई भाग प्राप्त किया है, तो पेंशन के उस भाग की उतनी रकम, और

(ग) यदि उसने, ऐसी नियुक्ति के पूर्व ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई निवृत्ति उपादान प्राप्त किया है, उस उपादान के समतुल्य पेंशन,

घटा दी जायेगी ।

2. लोकायुक्त को, नियुक्ति के पश्चात् वास्तविक सेवा में व्यतीत किए गए समय के संबंध में, वेतन तथा ऐसी परिलब्धियां तथा भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो :–

(एक) भारत सरकार के सचिव को देय है यदि लोकायुक्त को भारत सरकार के सचिव में से नियुक्त किया जाता है,

(दो) किसी ऐसे व्यक्ति को देय हैं, जिसने भारत में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा पद धारित किया है जिसका वेतनमान भारत सरकार के सचिव से कम नहीं है यदि लोकायुक्त को ऐसे पद धारित करने वाले ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है :

परन्तु यदि लोकायुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्वसेवा के संबंध में कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, (निर्योग्यता पेंशन से भिन्न) तो लोकायुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से :

(क) उस पेंशन की उतनी रकम,

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में उसे देय पेंशन के बदले में उसके सारांशीकृत मूल्य का कोई भाग प्राप्त किया है, तो पेंशन के उस भाग की उतनी रकम और,

(ग) यदि उसने, ऐसी नियुक्ति के पूर्व ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई निवृत्ति उपादान प्राप्त किया है, उस उपादान के समतुल्य पेंशन,

घटा दी जायेगी ।

तृतीय अनुसूची

(कृपया धारा 7 (1) देखिए)

(क) प्रत्यर्पण अधिनियम (1962 का सं. 34) या वैदेशी अधिनियम 1946 (1946 का सं. 31) के अधीन की गई कार्रवाई,

(ख) अपराध का अन्वेषण या राज्य की सुरक्षा का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिये की गई कार्रवाई जिसमें पारपत्र और यात्रा दस्तावेजों के संबंध में की गई कार्रवाई सम्मिलित है,

(ग) संविदात्मक बाध्यताओं में भ्रष्टाचार, प्रताड़ना तथा अत्यधिक विलंब से संबंधित शिकायतों को छोड़कर, किसी संविदा के निबंधनों से उद्भूत होने वाले ऐसे मामलों में की गई कार्रवाही जो ग्राहको या प्रदायकर्ताओं से, प्रशासन के विशुद्व व्यावसायिक संबंधों क लिए की गई हो ।

(घ) यह अवधारित करने के संबंध में, कि कोई मामला न्यायालय में जाएगा या नहीं, अधिकार के प्रयोग करने में की गई कार्रवाई,

(ड.) लोक सेवकों के हटाये जाने, वेतन, अनुशासन, सेवानिवृत्ति या अन्य सेवाशर्तो के संबंध में की गई कार्रवाई लेकिन इसमें पेंशन,उपादान,भविष्यनिधि के लिए दावों या किसी दावे से संबंधित कार्रवाई सम्मिलित नहीं है जो सेवानिवृत्ति, हटाये जाने या सेवा समाप्ति पर उद्भूत होते हैं ।'

(च) ऐसी कार्रवाही जो इस अध्यादेश की धारा 18 में उल्लेखित की नियुक्ति में, भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के संबंध में है ।

(छ) सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान करना ।

रायपुर, दिनांक 15 जून 2002

क्रमांक 4180/21-अ/प्रारूपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अध्यादेश, 2002 (क्र. 5 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH LOK AAYOG ADHYADESH, 2002

NO. 5 OF 2002

TABLE OF CONTENTS

Section Subject

CHHATTISGARH ADHYADESH
NO. 5 OF 2002

CHHATTISGARH LOK AAYOG ADHYADESH

An Ordinance promulgated by the Governor in the Fifty-third Year of the Republic of India.

An Ordinance to make provisions for the appointment and functions of certain authorities for the inquiry into the allegations against Ministers, Parliamentary Secretaries, Public Servants etc. and for the matters connected therewith.

Whereas the State Legislature is not in session, and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance: -

1. **Short title extent and commencement:** - (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Lok Aayog Adhyadesh, 2002.

(2) It extends to the whole state of Chhhattisgarh.

(3) It shall come in to force from the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette.

2. **Definitions:** - Unless the context otherwise requires, in this Ordinance;

(a) "Action" means any action including administrative action taken by way of decision, recommendation or finding or in any other manner and includes wilful failure or omission to act and all other expressions relating to such action shall be construed accordingly;

(b) "competent authority", means

(i) in the case of a Minister other than the Chief Minister, the Chief Minister of Chhattisgarh;

(ii) in the case of the Chief Minister or a Member of the State Legislature, the Governor of Chhattisgarh;

(iii) in the case of an officer of the All India Services, the Chief Minister;

(iv) in the case of a Government servant, other than a member of the All India Services, the appointing authority of such Government servant;

(v) in the case of any other public servant, such authority as may be prescribed by the Government;

(c) "corruption" includes anything made punishable under Chapter IX of the Indian Penal Code (Central Act No. 45 of 1860) or under the Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act No. 49 of 1988);

(d) "Government servant" means a person who is a member of the All India Services allocated under the All India Services Rules to the State of Chhattisgarh or a person who is a member of the civil services of the State of Chhattisgarh or who holds a civil post or is serving in connection with the affairs of the State of Chhattisgarh, and includes any such person whose services are temporarily placed at the disposal of the Government of India, the Government of another State, a local authority or any person whether incorporated or not, and also any persons in the service of a local or other authority in Chhattisgarh;

(e) "Local Authority" means and includes a panchayat at the village, Janpad or District levels constituted under the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (Act No. 1 of 1994), a Municipal Corporation constituted under the Chhattisgarh Nagar Palik Nigam Adhiniyam, 1956 (Act No. 23 of 1956), a Nagar Panchayat or a Nagar Palika constituted under the Chhattisgarh Nagar Palika Adhiniyam, 1961 (Act No. 37 of 1961), and any other area development authority by whatever name called, constituted under an Act of the Chhattisgarh Legislative Assembly;

(f) "Lok Aayog" means the Commission constituted under sub section (1) of Section 3 of this Ordinance;

(g) " Minister" means a member of the Council of Ministers for the State of Chhattisgarh, by whatever name called, that is to say the Chief Minister, a Minister, Minister of State, Deputy Minister, Parliamentary Secretary, or any office equated in status to that of a Minister;

(h) "misconduct" by a public servant means and includes that such public servant -

(i) has abused his position as such public servant to obtain any gain or favour to himself or to any other person or to cause undue harm or hardship to any other person,

(ii) has actuated in the discharge of his functions as such public servant by personal interest or improper or corrupt motives,

(iii) has indulged in corruption, undue favour, nepotism or lack of integrity in his capacity as such public servant,

(iv) is in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income and such pecuniary resources or property is held by public servant personally or by any member of his family or by any other person on his behalf;

(i) "Public Servant" shall mean and include a person who is -

(i) the Chief Minister,

(ii) a Minister,

(iii) a Member of the Legislative Assembly of the State of Chhattisgarh,

(iv) a Government servant,

(v) the Chairperson and the Vice-Chairperson (by whatever name called), or a member of a local authority in the State or a statutory body or Corporation established by or under any law of the State Legislature including a co-operative society, or a Government company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) and such other Corporations or Boards, as the Government may, having regard to its financial interest, in such Corporations or Boards by notification, from time to time, specify,

(vi) a member of a committee or Board or Authority or Corporation, statutory or non-statutory, constituted by the Government of Chhattisgarh,

(vii) a person in the service or pay of-

(aa) a local authority in the State,

(bb) a statutory body or a Corporation (not being a local authority) established by or under a State or a Central Act, owned or controlled

by the Government of Chhattisgarh and any other Board or Corporation as the Government may, having regard to its financial interest therein, notify from time to time,

(cc) a company registered under the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) in which not less than fifty one percent of the paid up share capital is held by the State Government of Chhattisgarh or any company which is a subsidiary of such company,

(dd) a society registered or deemed to have been registered under the relevant Act of the State Legislature and subject to the control of the Government of Chhattisgarh,

(ee) a cooperative society,

(ff) a University created or deemed to have been created under the Chhattisgarh Vishva Vidyalaya Adhiniyam 1973 (Act No. 22 of 1973);

(j) "Secretary of the Lok Aayog" means a person appointed and so designated to serve as an officer authorized to enter into communication or correspondence on behalf of the Lok Aayog with other persons or bodies.

3. **Constitution of Lok Aayog**:- (1) There shall be a Lok Aayog for the purpose of conducting inquiries in accordance with the provisions of this Ordinance.

(2) The Lok Aayog shall consist of two members, one to be known as the Pramukh Lokayukt, and the other as the Lokayukt.

(3) The Pramukh Lokayukt shall be a person who has been a Judge of a High Court or has held a judicial office higher than that of a Judge of a High Court.

(4) The Lokayukt shall be a person with experience in administrative and quasi-judicial matters, and shall have functioned at the level of a Secretary to the Government of India or the Chief Secretary to any State Government in India.

Provided that the Pramukh Lokayukt shall have administrative control over the affairs of the Lok Aayog.

(5) Governor shall, by warrant under his hand and seal, appoint the Pramukh Lokayukt and the Lokayukt, on the advice of the Chief Minister who shall consult the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh and the Speaker of the Chhattisgarh Legislative Assembly.

(6) Every person appointed as a Pramukh Lokayukt or a Lokayukt shall, before entering upon his office, take and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath of affirmation in the form set out for the purpose in the First Schedule.

(7) The Pramukh Lokayukt or the Lokayukt shall not hold any other office of trust or profit or be connected with any political party or carry on any business or practice any profession or hold any post in any society, including any co-operative society, trust, or any local authority, or membership of the Legislative Assembly of any State or of the Parliament.

4. **Term of Office of members and other conditions of service**:(1) Every person appointed as a member of Lok Aayog shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for re-appointment thereafter;

Provided that-

(a) he may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office and such resignation shall take effect as soon as it is tendered;

(b) he may be removed from office in the manner specified in Section 5 of this Ordinance.

(2) In the event of occurrence of any vacancy in the office of the Pramukh Lokayukt or of the Lokayukt by reason of his death, resignation or removal, the remaining member shall be notified by the Governor to be constituting the Lok Aayog and no proceedings of the Lok Aayog shall be invalidated only on account of both members not being in office at the time.

(3) A vacancy occurring in the office of the Pramukh Lokayukt or of the Lokayukt by reason of his death, resignation or removal shall be filled in as soon as possible but not later than six months from the date of occurrence of such vacancy.

(4) On ceasing to hold office, the Pramukh Lokayukt and the Lokayukt shall be ineligible for further employment under the Government of Chhattisgarh or for any employment under or in any cooperative society, Government company, or Corporation or local authority in the State of Chhattisgarh.

(5) There shall be paid to the Pramukh Lokayukt and the Lokayukt such salaries as are specified in the Second Schedule.

(6) The allowances and pension payable to, and other conditions of service of Pramukh Lokayukt and the Lokayukt shall be such as may be prescribed :

Provided that –

(a) in prescribing the allowances and pension payable to and other conditions of service of the Pramukh Lokayukt or the Lokayukt, regard shall be had to the allowances and pensions payable to and other conditions of service enjoyed by him in the last office held prior to appointment as Pramukh Lokayukt or Lokayukt as the case may be;

(b) the allowances and pension payable to and other conditions of service of the Pramukh Lokayukt or the Lokayukt shall not be varied to his disadvantage after appointment under this Ordinance.

5. **Removal of Pramukh Lokayukt and Lokayukt**:- (1) The Pramukh Lokayukt or the Lokayukt shall not be removed from his office except by an order of the Governor passed after an address by the Chhattisgarh Legislative Assembly supported by a majority of the total membership of the Legislative Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members thereof present and voting, has been presented to the Governor in the same session for such removal on the ground of proven misbehaviour or incapacity.

(2) The procedure for the presentation of an address and for the inquiry and proof, of the misbehaviour or incapacity of the Pramukh Lokayukt and Lokayukt under

sub-section (1) shall be as provided in the Judges (Inquiry) Act, 1968 (Act No. 51 of 1968), in relation to the removal of a Judge and accordingly, the provisions of this Ordinance shall, subject to necessary modifications apply in relation to the removal of Pramukh Lokayukt and Lokayukt as they apply in relation to the removal of a Judge.

6. **Matters that may be enquired into by Lok Aayog**:- Subject to the provisions of this Ordinance, upon receiving specific information of misconduct or a complaint against the Chief Minister, a Minister or any other public servant, the Lok Aayog may proceed to inquire into the matter contained therein.

7. **Matters not subject to inquiry**:- (1) Except hereinafter provided, Lok Aayog shall not conduct any inquiry under this Ordinance in the case of complaint in respect of any action if such action relates to any matter specified in the Third Schedule;

(2) Lok Aayog shall not inquire into any action :-

(a) in respect of which a formal and public inquiry has been ordered under the Public Servants (Inquiries) Act, 1950 (Act No. 37 of 1950); or

(b) in respect of a matter which has been referred for enquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Act No. 60 of 1952).

(3) Lok Aayog shall not inquire into any complaint :-

(a) if it is made after the expiry of twelve months from the date on which the action complained against becomes known to the complainant;

(b) if it is made after the expiry of five years from the date on which the action complained against is alleged to have taken place :

Provided that Lok Aayog may entertain a complaint referred to in clause (a), if the complainant satisfies it that he had sufficient cause for not making the complaint within the period specified in that clause.

(4) Nothing in this Ordinance shall be construed as empowering the Lok Aayog to question any administrative action involving the exercise of a discretion, except

where it is satisfied that the elements involved in the exercise of the discretion are absent to such an extent that the discretion can not be regarded as having been properly exercised.

8. **Provisions relating to complaints**:- (1) Every complaint involving a misconduct shall be made in such form as may be prescribed and shall be accompanied by a deposit of two hundred and fifty rupees, and the complainant shall swear in affidavit in such form as may be prescribed before a member or any officer authorized by the Lok Aayog in this behalf.

(2) Notwithstanding anything contained in this Ordinance, every person who wilfully or maliciously makes any false complaint under this Ordinance shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both and the court may order that out of the amount of fine, such sum as it may deem fit be paid by way of compensation to the person against whom such complaint was made.

Provided that no court shall take cognisance of an offence punishable under this Section except on a complaint made by or under the authority of the Lok Aayog.

Provided further that, the complaint made under the signature of the Secretary and seal of the Lok Aayog shall be sufficient as the authority of the Lok Aayog, and the evidence of members of the Lok Aayog shall not be necessary for the purpose.

9. **Procedure in respect of inquiries**:- The Lok Aayog shall in cases to be conducted before it decide the procedure to be followed for making the inquiry, and in so doing ensure that the principles of natural justice are satisfied.

10. **Evidence**:- (1) Subject to the provisions of this Section, for the purpose of any inquiry under this Ordinance, including a preliminary inquiry, if any, the Lok Aayog may require any public servant or any other person who in its opinion is able to furnish information or produce documents relevant to the inquiry, to furnish any such information, or to produce any such document.

(2) For the purpose of any such inquiry including a preliminary inquiry, if any, before such inquiry, the Lok Aayog shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. 5 of 1908), in respect of the following matters, namely,

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath,

(b) requiring the discovery and production of any document,

(c) receiving evidence on affidavits,

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office,

(e) issuing commission for the examination of witnesses and documents.

(f) such other matters, as may be prescribed.

(3) Any proceeding before the Lok Aayog shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and section 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860).

(4) Subject to the provisions of sub-section (5), no public servant shall be entitled, in relation to any inquiry under this Ordinance, to any privilege in respect of the production of documents or the giving of evidence before the Lok Aayog.

(5) No person shall be required or authorized by virtue of this Ordinance, to furnish any such information or to answer any such question or to produce so much of any documents :-

(a) as might prejudice the security of the State, or

(b) as might involve the disclosure of proceedings of the Council of Ministers of the State Government;

Explanation: - For the purposes of this sub-section, a certificate issued by a Secretary to the State Government stating that any information, answer or portion of a document is of the nature specified in clause (a) or clause (b) shall be binding and conclusive.

(6) Subject to the provisions of sub-section (4), no person shall be compelled for the purpose of inquiry under this Ordinance to give any evidence or produce any

document, which he could not be compelled to give or produce in proceeding before a court.

11. **Reports of Lok Aayog**:- (1) If after inquiry of any action in respect of which a complaint has been received the Lok Aayog is of the opinion that the complaint is established, it shall by a report in writing, communicate its findings and recommendations along with the relevant documents and other evidence to the competent authority.

Explanation: - "Opinion of Lok Aayog" in relation to any complaint including a decision, report, finding or conclusion thereon, means the unanimous opinion of the Pramukh Lokayukt and Lokayukt.

(2) The competent authority shall examine the report forwarded to it under sub-section (1) and intimate to the Lok Aayog within three months of the date of receipt of the report, the action taken or proposed to be taken thereon.

(3) If the Lok Aayog is satisfied with the action taken or proposed to be taken on its recommendations, it shall close the case under information to the complainant, the public servant and the competent authority, and if in any case the Lok Aayog is of the opinion that the case so deserves, it may make a special report upon the case to the Governor and also inform the complainant.

(4) The Lok Aayog shall present to the Governor, annually, a consolidated report on the performance of its functions under this Ordinance.

(5) If in any special report under sub-section (3) or the annual report under sub-section (4), any adverse comment is made against any public servant, such report shall also contain the substance of the defence adduced by such public servant and the comment made thereon by or on behalf of the State Government or the relevant competent authority, as the case may be.

(6) On receipt of a special report under sub-section (3) or the annual report under sub-section (4), the Governor shall cause a copy thereof together with an explanatory memorandum to be laid before the State Legislative Assembly.

(7) Subject to the provisions of Section 9 of this Ordinance, the Lok Aayog may at its discretion make available from time to time and in such manner and to such persons as it may deem appropriate, the substance of cases closed or otherwise disposed of by it which may in its opinion be of general public, academic or professional interest.

12. **Reports in respect of the Chief Minister**:- (1) The Lok Aayog shall send its report in respect of a complaint against the Chief Minister with its recommendations to the Governor, who shall take such action thereupon, as he may deem fit or expedient.

(2) The report of the Lok Aayog shall, along with the order passed by the Governor under sub-section (1), be laid before the State Legislative Assembly.

13. **Staff of Lok Aayog**:- (1) There shall be a Secretary of the Lok Aayog, who shall assist the Pramukh Lokayukt and the Lokayukt in the discharge of their functions under this Ordinance.

(2) There shall be such other officers and employees under the Secretary of the Lok Aayog as may be provided in the rules framed under this ordinance.

(3) Pramukh Lokayukt shall have such administrative powers as shall be prescribed in consultation with him, for the purpose of enabling him to exercise administrative control over all officers and other employees who may be appointed by the Lok Aayog.

(4) The salaries, allowances and other conditions of service of the Secretary of the Lok Aayog and other categories of officers and employees who may be appointed under sub-section (2) shall be such as may be prescribed in consultation with the Pramukh Lokayukt.

(5) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) the Lok Aayog may, for the purpose of conducting inquiries under this Ordinance, utilize the services of :-

(a) an investigating agency appointed by the State Government for the Lok Aayog, or

(b) any officer or investigating agency of the State or Central Government with the concurrence of that Government, or

(c) any other person or agency.

14. **Secrecy of Information**:- (1) Any information obtained in the course of an inquiry by the Lok Aayog, members of its staff or a person or agency whose services are utilized by the Lok Aayog for conducting inquiries in respect of any complaint, and any evidence recorded or collected in connection with such information shall be treated as confidential.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to the disclosure of information or particulars :-

(a) for purpose of the enquiry or in any report to be made thereon or for any action or proceedings to be taken on such report, or

(b) for purposes of any proceeding for an offence under the Official Secrets Act, 1923 (Act No. 19 of 1923), or any offence of giving or fabricating false evidence under the Indian Penal Code or for the purpose of any proceedings under Section 15 of this Ordinance, or

(e) for such other purposes as may be prescribed.

(3) An officer or other authority prescribed in this behalf may give notice in writing to the Lok Aayog with respect to any document or information specified in the notice or any class of documents so specified, that in the opinion of the State Government the disclosure of the documents or information of documents, or information of that class so specified, would be contrary to public interest; and where such notice is given, nothing in this Ordinance shall be construed as authorizing or requiring the Pramukh Lokayukt or the Lokayukt or any member of the staff of Lok Aayog to communicate to any person any document or information specified in the notice or any document or information of a class so specified.

15. **Protection**:- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Lok Aayog, the Pramukh Lokayukt, the Lokayukt or against any officer, employee, agency or person referred to in Section 13 in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance.

16. **Lok Aayog to make suggestions**:- The Lok Aayog, if in the discharge of its functions under this Ordinance, notices a practice or procedure which in its opinion affords an opportunity for corruption or mal-administration, it may bring to the notice of the Government and may suggest such improvement in the said practice or procedure as it may deem fit.

17. **Power to make rules**:- (1) The State Government may, by notification, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Ordinance.
(2) All rules made under this Section shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

18. **Removal of doubts**:- For the removal of doubts it is hereby declared that nothing in this Ordinance shall be construed to authorize the Lok Aayog to enquire into a complaint against :-

(a) any member of the judicial service who is under the administrative control of the High Court of Chhattisgarh under Article 235 of the Constitution of India,

(b) the Chairman or a member of the State Public Service Commission,

(f) the Chief Electoral Officer of Chhattisgarh,

(g) any member of the Secretariat staff of the Chhattisgarh Legislative Assembly,

(h) any member of the staff of the Governor's secretariat.

19. **Saving**:- The provisions of this Ordinance shall be in addition to the provisions of any other enactment or any rule of law under which any remedy by way of appeal, revision, review or in any other manner is available to a person making a

complaint under this Ordinance, in respect of any action, and nothing in this Ordinance shall limit or affect the right of such person to avail of such remedy.

20. **Repeal of Act No. 37 of 1981 and prohibition to entertain complaints disposed of prior to the commencement of Ordinance**:- (1) The Chhattisgarh Lokayukta Evam Up Lokayukta Adhiniyam, 1981 (Adopted vide Notification No. F-8-1/2001/1/6 dated 8th October, 2001) is hereby repealed.

(2) All complaints relating to the affairs of the State of Chhattisgarh pending before the Lokayukta or Up Lokayukta under the Adhiniyam referred to in sub-section (1) immediately before the commencement of this Ordinance shall, on commencement, stand transferred to the Lok Aayog, and shall thereupon be disposed of by the Lok Aayog as if the same were complaints entertained by it under this Ordinance.

(3) No complaint disposed by the Lokayukta or the Up Lokayukta under the Adhiniyam referred to in sub-section (1), prior to the commencement of this Ordinance, shall be entertained by the Lok Aayog under this Ordinance :

Provided that the Lok Aayog may, if it considers it necessary to do so to meet the ends of justice, enquire into any complaint relating to the affairs of the State of Chhattisgarh finally disposed off under the Adhiniyam referred to in sub-section (1) within a period of two years prior to the commencement of this Ordinance.

Raipur

Dated 15 June, 2002

Governor Chhattisgarh

THE FIRST SCHEDULE
[See Section 3 (6)]

I ....having been appointed Pramukh Lokayukt / Lokayukt do swear in the name of God / solemnly affirm that I will bear faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will.

----------------0-----------------

THE SECOND SCHEDULE
[See Section 4(5)]

1. After appointment, there shall be paid to the Pramukh Lokayukt, in respect of time spent on actual service, salary plus such perquisites and allowances as are payable to :-

(i) A Judge of the Supreme Court of India, in case the Pramukh Lokayukt is appointed from among persons who have held the office of a Judge of the Supreme Court,

(ii) A Chief Justice of a High Court, in case the Pramukh Lokayukt is appointed from amongst persons who have held the office of a Chief Justice of a High Court,
(iii) A Judge of a High Court, in case the Pramukh Lokayukt is appointed from amongst persons who have held the office of a Judge of a High Court.

Provided that his salary in respect of service as the Pramukh Lokayukt shall be reduced –
(a) by the amount of pension (other than a disability pension) in respect of any previous service being drawn by him, and
(b) if he has before appointment as the Pramukh Lokayukt received in lieu of a portion of the pension due to him the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension, and
(c) if he has, before such appointment, received a retirement gratuity in respect of such previous service, by the pension equivalent of that gratuity.

2. After appointment, there shall be paid to the Lokayukt, in respect of time spent on actual service, salary plus such perquisites and allowances as are payable to -

(i) A Secretary to the Government of India in case the Lokayukt is appointed from amongst the Secretaries to the Government of India,
(ii) A person who has held any post under the Central or State Government in India carrying a scale of pay which is not less than that of a Secretary to Government of India in case the Lokayukt is appointed from amongst persons holding such posts,

Provided that, if the Lokayukt at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability pension) in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State in India, his salary in respect of service as the Lokayukt, shall be reduced-
(a) by the amount of that pension, and
(b) if he has, before such appointment received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension, and

(c) if he has, before such appointment, received a retirement gratuity in respect of such previous service, by the pension equivalent of that gratuity.

THE THIRD SCHEDULE

[See Section 7 (1)]

a) Action taken under the Extradition Act, 1962 (Act No. 34 of 1962) or the Foreigners Act, 1946 (Act No. 31 of 1946),

b) Action taken for the purpose of investigating crime or protecting the security of the State including action taken with respect to passports and travel documents,

c) Action taken in matters which arise out of the terms of a contract governing purely commercial relations of the administration with customers or suppliers, except where the complaint relates to corruption, harassment or gross delay in meeting contract obligations,

d) Action taken in the exercise of powers in relation to determining whether a matter shall go to a court or not,

e) Action taken in respect of removals, pay, discipline, superannuation or other matters relating to conditions of service of public servants but not including action relating to claims for pension, gratuity, provident fund or to any claim which arise on retirement, removal or termination of service.

f) Action involving complaints of corruption in respect of appointments of those mentioned in Section 18.

g) Grant of honours and awards.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.